

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म. प्र.

निगा 1819-I/1071

7

कौशल्या देवी पत्नि हरिनारायण ब्राहमण उम्र 55 वर्ष

आकिन-ग्राम मकरी कुद्वार तह. व जिला पन्ना

म. प्र.

आवेदिका

//विरुद्ध//

म. प्र. शासन

अनावेदक

निगरानी प्रकरण क्र.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता.

आवेदिका निम्नलिखित प्रार्थना करती है:-

आवेदिका अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर,  
द्वारा प्रकरण क्र. 440/अ-19 वर्ष 2004=05 में  
पारित आदेश दिनांक 16/4/2007 के विरुद्ध  
यह निगरानी प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तत्व :-

प्रकरण के संक्षिप्त तत्व यह है कि ग्राम मकरी कुद्वार  
स्थित भूमि का पट्टा आवेदिका को खसरा नं. 635 रकबा 1.80 हे.  
का व्यवस्थापन अपर तहसीलदार द्वारा म. प्र. कृषि प्रयोजन के लिये  
उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का  
प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों  
के तहत किया गया है आवेदिका को नामांतरण पंजीर्ण क्र. 21 दिनांक  
8/10/91 द्वारा व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया आवेदिका का  
2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से उपरोक्त भूमि पर फसल बोकर कब्जा  
रहा है तथा व्यवस्थापन आदेश विधिवत प्रक्रिया के तहत पारित  
किया गया है अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा 13 वर्षों बाद तहसीलदार  
की अनुशंसा पर आवेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर  
दिनांक 21/3/2005 व्यवस्थापन का आदेश निरस्त कर इस आदेश  
के विरुद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर के न्यायालय में आवेदिका द्वारा  
निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसे दिनांक 16/4/2007 को निरस्त



44

2-11-07

क्रमांक RP. 5846  
रजिस्ट्रार पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 8-11-07 को प्राप्त

कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रोजेश पांडे  
रस.

प्रकरण क्रमांक 1819-एक/2007

जिला- पन्ना

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
7-1-15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । उन्हें तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	
		प्रशासकीय सदस्य 